

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 12 (1) साप्र/4/2014

जयपुर, दिनांक 7.8.14

प्रबंधक,
संबंधित विश्राम भवन,
राजस्थान ।

विषय:-बजट शीर्ष 2070-115-03-परिधि गृह (आयोजना भिन्न) में बजट आवंटन बाबत ।

निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपरोक्त बजट शीर्ष में राशि रु. 576.71 लाख (अक्षरे रूपये पाँच करोड छियत्तर लाख इक्कतर हजार मात्र) का बजट द्वितीय त्रैमास हेतु आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

S.N.	Name	01-Salary	03-TA	04-MED.	05-OE	41-Con.	56-Mess	Total
1	अजमेर	24.00	0.03	0.05		5.00	6.00	35.08
2	अलवर	14.00	0.02	0.04		5.00	7.00	26.06
3	बांसवाड़ा	4.00	0.02	0.04	1.00	2.00	0.50	7.56
4	बांरा	6.00	0.02	0.04	1.50	2.00	2.00	11.56
5	बाड़मेर	7.00	0.02	0.04			0.50	7.56
6	भरतपुर	14.00	0.03	0.05	4.00	3.00	5.00	26.08
7	भीलवाड़ा	10.00	0.02	0.04	4.00		8.00	22.06
8	बीकानेर	7.00	0.03	0.05	4.00	4.00	4.00	19.08
9	बूंदी	9.00	0.02	0.04		2.00	1.50	12.56
10	चित्तौड़गढ़	6.00	0.02	0.04		3.00	2.50	11.56
11	चुरू	6.00	0.02	0.04		2.00	1.00	9.06
12	डूंगरपुर	6.00	0.02	0.04			1.50	7.56
13	दौसा	7.00	0.02	0.04	1.00	2.00	0.50	10.56
14	धोलपुर	9.00	0.02	0.04		1.00	1.00	11.06
15	श्री गंगानगर	7.00	0.02	0.04		1.00	1.00	9.06
16	हनुमानगढ़	4.00	0.02	0.04		3.00	0.50	7.56
17	जयपुर	47.00		0.05		15.00	25.00	87.05
18	जैसलमेर	6.00	0.02	0.04		4.00	2.00	12.06
19	जालौर	3.00	0.02	0.04			1.00	4.06
20	झालावाड़	7.00	0.02	0.04		1.00	2.00	10.06
21	झुंझुनु	6.00	0.02	0.04		1.50	1.50	9.06
22	जोधपुर	19.00	0.03	0.05		4.00	5.00	28.08
23	कोटा	15.00	0.03	0.05		2.50	4.50	22.08
24	नागौर	6.00	0.02	0.04	1.50	2.00	3.00	12.56
25	पाली	6.00	0.02	0.04		1.00	1.50	8.56
26	सवाईमाधोपुर	9.00	0.02	0.04		2.00	3.00	14.06
27	सिरोही	3.00	0.02	0.04	1.00			4.06
28	सीकर	8.00	0.02	0.04		4.00	2.00	14.06
29	टोंक	7.00	0.02	0.04	2.00	2.00	2.50	13.56
30	उदयपुर	18.00	0.03	0.05	4.00	4.00	5.50	31.58
31	राजसमन्द	4.00	0.02	0.04	0.50	1.00		5.56
32	करोली	5.00	0.02	0.04	1.00	2.00	1.00	9.06
33	ट्रांजिट हो.	14.00	0.02	0.04	3.00	4.00		21.06
34	मारुन्ट आबू	17.00	0.02	0.04		9.00	4.50	30.56
35	प्रतापगढ़	2.00	0.02	0.04		2.00	1.50	5.56
	Total	342.00	0.74	1.47	28.50	96.00	108.00	576.71

यह सुनिश्चित करें कि किसी भी मद में आवंटित बजट राशि से अधिक का व्यय नहीं हो। संविदा मद में व्यय सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5)विभाग द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसार किया जावे।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

प्रतिलिपि:- 1. संबंधित कोषाधिकारी।
2. रक्षित पत्रावली ।

(डॉ. मनीष शुक्ला)
वरिष्ठ लेखाधिकारी